उत्तरांचल शासन
राज्य पुनर्गठन विभाग
संख्या– 219 / रा0पु0 / वि0का0अ0 / 04 / 2000
देहरादूनः दिनांकः 05 मई, 2004

1– अपर मुख्य सचिव।
2–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य कार्मिकों के आबंटन के सम्बन्ध में गठित राज्य परामर्शीय समिति के तत्वावधान में की गई कार्यवाही एवं समिति द्वारा भारत सरकार को की गई संस्तुतियों के संदर्भ में समिति की समय–समय पर सम्पन्न हुई बैठकों के कार्यवृत्त राज्य पुनर्गठन विभाग द्वारा आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते रहे हैं ।

यद्यपि बहुत से विभागों में कार्मिकों के अन्तिम आबंटन हेतु कार्यवाही की गई है तथापि अन्तिम आबंटन के परिप्रेक्ष्य में स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल आने वाले अथवा उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले कार्मिकों के आवागमन में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से राज्य परामर्शीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों में कार्मिकों के अन्तिम आबंटन हेतु बनाई गई टेन्टेटिव अन्तिम आबंटन सूची (TFAL) में अंकित किये गये जिन कार्मिकों के नाम विकल्प अथवा मूल निवासी के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं एवं उन पर उत्तरांचल अथवा उत्तर प्रदेश हेतु अन्तिम आबंटन किये जाने की दृष्टि से कोई विवाद नहीं है, ऐसे कार्मिकों को दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित करके एक दूसरे राज्य को अवमुक्त करने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा अन्तिम आबंटन आदेशों की प्रतीक्षा न करते हुए तत्काल आरम्भ कर दी जाय । इससे न केवल आबंटन की प्रकिया अथवा कार्मिकों के आवागमन में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा बल्कि उन कार्मिकों को जिन्हे अन्तिम रूप से उत्तरांचल अथवा उत्तर प्रदेश में से किसी एक राज्य में स्थायी तौर पर सेवा करनी है उन्हें भी काफी राहत मिल सकेगी ।

अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में इस विभाग को उनकी सूची इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित कार्मिक पर्वतीय उपसंवर्ग का नहीं है, उत्तरांचल का विकल्पधारी नहीं है तथा उसका नाम मूलनिवासी अथवा कनिष्ठतम् के रूप में उत्तरांचल के लिए आबंटन की प्रस्तावित सूची में सम्मिलित नहीं है ।

उक्त सूची तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राज्य पुनर्गठन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से समन्वय करके ऐसे कार्मिकों को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

(एन0 एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।
O/C